



एरोड्रोम सुरक्षा विभाग, प.क्षे.

DEPT. OF AERODROME SAFEGUARDING

अंतरकार्यलय टिपणी / INTER OFFICE NOTE

संख्या : भाविप्रा/क्षे.मु./प.क्षे./ डी.ओ.ए.एस./आरटीआई/केस -227/2025/42 दिनांक : 06/06/2025

विषय: श्री अरविंद गोडबोले द्वारा प्राप्त सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत आवेदन पत्र के संदर्भ में।

संदर्भ: (1) PIO, WR email dated 06 June 2025 11:30
(2) RTI application Case No.227/25 dated 02/06/2025.

Point wise reply to the RTI Application is as under:-

Point No.	Reply
1 to 9, 11, 12,13	आवेदक द्वारा मांगी गई जानकारी इस कार्यालय से संबंधित नहीं है। Information sought by the applicant does not pertain to this office.
10	आरटीआई आवेदक द्वारा मांगी गई जानकारी इस पत्र के साथ संलग्न है। Information sought by RTI applicant is attached with this letter.

प्रमोद सिन्हा
(प्रमोद के. सिन्हा)उप महाप्रबंधक (ए.टी.एम.) प.क्षे.
एरोड्रोम सेफगार्डिंग विभाग, प.क्षे.
कृते महाप्रबंधक (ए.टी.एम.) प.क्षे. एवं डीमड पी॰आय॰ओ॰

[Through: GM (ATM) WR - Deemed PIO]

To,

PIO, WR

9/6/2025
(GM) GM (ATM-WR)



भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA
पश्चिमी क्षेत्र मुख्यालय
WESTERN REGION HQRS.

(केवल ऊँचाई के क्लियरन्स के लिए अनापत्ति प्रमाण - पत्र)

(NOC for Height Clearance Only)

NOC

पत्र संख्या : बीटी-1/एन.ओ.सी.सी/सि एस/मुं/09/296 /1487-90 दिनांक : 10/12/2009.
सेवा में 14

Shri Naresh Barot,
4/152, Bazargate Street,
Fort, Mumbai - 1.

अनापत्तिप्रमाण पत्र सेल

पश्चिमी क्षेत्र केस न. मुं/09/296.

विषय: प्रस्तावित भवन निर्माण/चिमनी के लिये अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करना। (केस न. मुं/09/296.)

उपर्युक्त विषय पर आपके दिनांक 01/12/2009 के पत्र संख्या के संदर्भ में ।

इस कार्यालय को Shri Naresh Barot , Mumbai जिन्हे इस पत्र मे आगे आवेदक कहा गया है, द्वारा (स्थान संख्या) C.T.S No.886, 886/1 to 5 of Village Vileparle (East), Mumbai पर प्रस्तावित भवन 16.16 मीटर (Sixteen Deci One Six) धरातल के उपर (Above Ground Level) ऊँचाई तक का निर्माण करने के लिये कोई आपत्ति नहीं है, बशर्ते कि प्रस्तावित भवन / संरचना के निर्माण पूरा होने पर संरचना ऊँचाई 16.16 मीटर (Above Ground Level) धरातल के उपर + 7.06 मीटर स्थल उत्यापन (Site Elevation) = 23.22 मीटर माध्य समुद्रतल (A.M.S.L.) से अधिक न हो ।**

यह " अनापत्ति प्रमाणपत्र " इस स्पष्ट धारणा पर जारी किया जा रहा है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए स्थल उत्यापन समानीत तल (माध्य समुद्रतल से उपर) अर्थात 7.06 मीटर प्रस्तावित भवन / संरचना का अपेक्षित स्थल तथा ए.आर.पी. / धाव पथ के सिरो से इसकी दूरी और दिक्कोन सही दिए गए है । यदि जाँच के बाद किसी अवस्था में यह सिद्ध हो जाए कि उक्त आवेदक द्वारा प्रस्तुत उक्त आंकड़ों से भिन्न है और इसके द्वारा विमान परिचालन पर प्रतिकूल प्रभाव पड सकता है, तो जिस संरचना के जिस भाग के लिए यह अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी किया जा रहा है उसे अध्यक्ष, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, के आदेशानुसार आवेदक की लागत पर गिरा दिया जाएगा । अतः आवेदकों को उनके हित में यह सलाह दी जाती है कि वे प्रस्तावित निर्माण प्रारंभ करने से पहले स्थल के लिए प्रस्तुत उत्यापन और अन्य आंकड़ों का सत्यापन कर लें ।

इस अनापत्ति प्रमाणपत्र का यह निर्गमन भारतीय विमान अधिनियम 1934 की धारा 9 अ के उपबन्धों और इनके अन्तर्गत समय-समय पर जारी की गई अन्य अधिसूचनाओं के अधीन भी होगा और जिसके अन्तर्गत अध्यक्ष, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा आवेदक को इस अनापत्ति प्रमाणपत्र के अनुसार प्राधिकृत की जाने-वाली पूर्ण संरचना भवन अथवा इसके किसी भाग को गिराने के लिए भी कहा जा सकता है ।

उपर्युक्त अनुच्छेद में उल्लिखित ऊँचाई से उपर कोई भी रेडियो, टी.वी.अँन्टेना, तडित चालक / निरोधक सीढियाँ, गुमटी, उँची पानी की टंकिया अथवा किसी भी प्रकार की सामुग्री / वस्तुएँ और अन्य सहायक उपकरण नहीं लगाए जाएंगे ।

विमानक्षेत्र की 8 किलोमीटर की परिधि में तेल या बिजली से चलने वाली भट्टी का ही प्रयोग करना अनिवार्य है ।

... 2/-

: 2 :

यह प्रमाणपत्र जारी होने की तारीख से 5 (Five) वर्ष की अवधि तक विधिमान्य होगा । यदि भवन संरचना / चिमनी का निर्माण कार्य उपर्युक्त अवधि 5 (Five) वर्ष के भीतर पूरा नहीं किया गया तो आवेदक को अध्यक्ष, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण तथा क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक, पश्चिमी क्षेत्र, मुंबई से पुनः अनापत्ति प्रमाणपत्र लेना होगा । जिस दिन भवन संरचना /चिमनी का निर्माण कार्य पूरा हो जाए, उसकी सूचना अध्यक्ष, भा. वि. प्रा. तथा क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक, पश्चिमी क्षेत्र, मुंबई क्षेत्र को दी जाए ।

भवन निर्माण के दौरान या बाद में कार्यस्थल पर किसी भी समय प्रकाश, प्रकाशपुंज या रंगीन-प्रकाश आदि का प्रयोग न किया जाए इनके द्वारा वैमानिक भूमि प्रकाशों के साथ भ्रम पैदा हो सकता है ।

** 16.16 M AGE ✓
+ 7.06 M RL ✓
23.22 M AMSL ✓

" The permissible top elevation/height includes height for superstructures (eg. Wireless, TV antennas, Mumties, Lift Machine room, Overhead water tanks, cooling towers etc) "

Day & Night markings with secondary power supply may be provided as per ICAO standard

This NOC is issued with the approval of competent authority, as per S.O.1589 (E).

(ए.वि.धुरि)

सहायक महाप्रबंधक (ए.टीसी/अनापत्ति)
कृते महाप्रबंधक (विमान क्षेत्र)प.क्षे

प्रतिलिपी:- 1. कार्यपालक निदेशक (ए.टी.एम), भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (रा.वि.प्रा.), राजीव गांधी भवन, सफदरजंग एयरपोर्ट, नई दिल्ली-3.

2. The President, Mumbai International Airport Pvt., Ltd., CSI Airport, 1st floor, Terminal 1 B, Santacruz (E), Mumbai -99.
3. सहा अभियंता सर्वे / (डब्ल्यू.एस.) एच अॅण्ड के वॉर्डस, म्युनिसिपल ऑफीस इमारत, पहली मंजिल, आर.के. पाटकर मार्ग, बांद्रा (प), मुंबई-50.
4. महाप्रबंधक (विमान क्षेत्र), प.क्षे, भा.वि.प्रा, मुंबई.
5. गॉर्ड फाईल.

२०.११.२०११ ११/१२/०९
(ए.वि.धुरि)

सहायक महाप्रबंधक (ए.टीसी/अनापत्ति)
कृते महाप्रबंधक (विमान क्षेत्र)प.क्षे